



दिल्ली विधान सभा
DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

पर्यावरण समिति
COMMITTEE ON ENVIORNMENT

पहला प्रतिवेदन
FIRST REPORT

दिनांक ११ सितम्बर 2008 को प्रस्तुत
Presented on 11th September 2008

दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली 110054
Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi -54

समिति का गठन :
COMPOSITION OF THE COMMITTEE

1.	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह Shri Surender Pal Singh	सभापति Chairman
2.	श्री रामबाबू शर्मा Shri Ram Babu Sharma	सदस्य Member
3.	श्री मुकेश शर्मा Shri Mukesh Sharma	सदस्य Member
4.	श्री अशोक आहूजा Shri Ashok Ahuja	सदस्य Member
5.	श्री राजेश लिलोठिया Shri Rajesh Liloithia	सदस्य Member
6.	श्री पूर्णचंद योगी Shri Puran Chand Yogi	सदस्य Member
7.	डॉ० हर्षवर्धन Dr. Harsh Vardhan	सदस्य Member
8.	श्री धर्मदेव सोलंकी Shri Dharam Deo Solanki	सदस्य Member
9.	श्री रणवीर सिंह खर्ब Shri Ranbir Singh Kharb	सदस्य Member

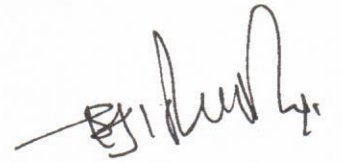
सचिवालय/Secretariat:

1.	श्री सिद्धार्थ राव Shri Siddharath Rao	सचिव Secretary
2.	श्री जी.एस.रावत Shri G.S.Rawat	संयुक्त सचिव Joint Secretary
3.	श्री अज़ीज़ुद्दीन अहमद Shri Azizuddin Ahmad	उप सचिव Deputy Secretary
4.	श्री लाल मणि Shri Lal Mani	उप सचिव Deputy Secretary

प्रस्तावना

मैं, सुरेन्द्र पाल सिंह, सभापति, पर्यावरण समिति, समिति द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर रिज ऐरिया से संबंधित समस्याओं के संबंध में इसका पहला प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूँ!

समिति विधान सभा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा समिति की बैठकों के लिये पृष्ठभूमिक सामग्री उपलब्ध कराने एवं इस प्रतिवेदन को तैयार करने के लिये प्रशंसा करती है! समिति की बैठकों में उपस्थित होकर संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिये विभागीय अधिकारियों की भी समिति प्रशंसा करती है!



सुरेन्द्र पाल सिंह
सभापति
पर्यावरण समिति

पर्यावरण समिति का प्रतिवेदन

समिति ने अपनी बैठकों में राजधानी में पर्यावरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर गंभीरता से विचार विमर्श किया विशेषकर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं पर खासतौर से विचार किया और संबंधित विभागों को इन बातों की तरफ विशेष ध्यान देने की हिदायत दी ।

समिति का मानना था कि पर्यावरण संबंधी गंभीर समस्या का निदान करना अत्यंत आवश्यक है ताकि राजधानी के सभी लोग स्वस्थ एवं खुली हवा में सांस ले सकें। समिति ने राय दी कि इसके लिए राज्य एवं जिला स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए और आपस में सभी एजेंसियां ताल मेल बैठाकर रखें। इसके लिए जनता को भी जागरूक करने की आवश्यकता है और इस बारे में समय-समय पर सेमीनार एवं संगोष्ठियां भी आयोजित की जानी चाहिए।

समिति ने सुझाव दिया कि राजधानी को प्रदूषणमुक्त रखने के लिये सभी विषयों का गहन अध्ययन करके तुरंत प्रभाव से इस पर कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। सभी संबंधित विभाग इस तरफ विशेष ध्यान दें।

समिति ने कहा कि जिन-जिन स्थानों पर फ्लाई ओवरों, फुटपाथ इत्यादि का निर्माण किया गया है वहां पर वृक्षारोपण किया जाए।

समिति ने यह भी कहा कि दिल्ली में वन योग्य क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए और वहां पर वन विकसित किए जाएं।

समिति ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की कि रिज ऐरिया में लगातार अतिक्रमण हो रहा है और कई हैक्टेयर भूमि अनधिकृत कब्जे में हैं। रिज ऐरिया में कई स्थानों पर पेट्रोल पंप,मॉल्स,हॉस्पिटल,पब्लिक स्कूल खुले हुए हैं समिति ने विभाग को सुझाव दिये कि जहां जहां पर भी अनधिकृत कब्जा हुआ है, उसे तुरन्त हटाया जाये और उस स्थान को हरित ऐरिये के रूप में विकसित किया जाये।

समिति ने ग्रांड हयात होटल को डीपीसीसी द्वारा प्रमाण-पत्र दिये जाने के बारे में विभागीय अधिकारियों से जानकारी चाही, जिस पर बताया कि इन्द्रप्रस्थ यूनीवर्सिटी से एडिकेसी रिपोर्ट मंगाई है और रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर कार्रवाई संभव हो सकेगी।

समिति ने रिज ऐरिया में स्थित 42 मॉल्स द्वारा कॉन्सेंट टु एस्टेब्लिशमेंट के लिये आवेदन न करने पर आपत्ति जताई और विभाग को निर्देश दिये कि इस मामले को गंभीरता से लें और नियमानुसार जो भी कार्रवाई होती है, उसे करें।

समिति ने नसीरपुर ऐरिया में कबाडीवालों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण एवं रेवला खानपुर ऐरिया में लगाये गये पेड़ों को नष्ट करने के मामले को भी गंभीरता से लिया और लगाए गए पेड़ों की समुचित देखभाल का भी सुझाव दिया।

समिति ने यह भी निर्देश दिये कि रिज ऐरिया में छोड़े गये विभिन्न जानवरों की सुरक्षा वन एवं वनजीव विभाग सुनिश्चित करे ।

समिति ने महिपाल पुर और बसंत कुंज में अनधिकृत रूप से हो रहे खनन को न रोकने पर भी चिन्ता व्यक्त की ।

समिति ने यह जानकारी प्राप्त की कि इस ऐरिया में अनधिकृत खनन के 27 केस दर्ज किये गये और 54 आदमियों को हिरासत में लिया गया है जिनके ऊपर कार्यवाई चल रही है ।

समिति ने यह भी चाहा कि मेट्रो रेल की लाइनों को बिछाने के दौरान जो पेड़ काटे गये उनके बदले उससे अधिक संख्या में पेड़ लगाये जायें । समिति ने जानकारी प्राप्त की कि अभी तक लगभग 1 लाख 92 हजार के करीब पेड़ लगाये जा चुके हैं ।

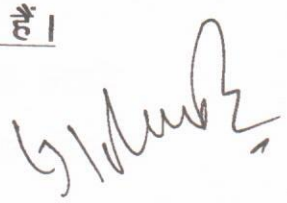
सिफारिशें / सुझाव

1. रिज ऐरिया के संरक्षण के लिये एवं राजधानी में पर्यावरण सुधार के लिये राजधानी की जनता को जागरूक किया जाए
राजधानी का प्रदूषणमुक्त होना अति आवश्यक है ।
2. सभी संबंधित एजेंसियां एवं विभाग रिज ऐरिया पर लगातार
निगरानी रखें ।
3. वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम को सभी आवश्यक स्थानों पर प्रारंभ किया जाए जिससे पानी की समस्या का भी समाधान हो ।
4. सौर ऊर्जा चलित जनरेटर लगाए जाएं ।

5. अनधिकृत खनन पर निगरानी रखी जाए और दोषी पाये जाने पर कार्रवाई की जाये।
6. पौधों का सरवाइवल रेट बढ़ाया जाए।
7. मेट्रो रेल की लाइनें बिछाने एवं फ्लाई ओवर बनाने के दौरान विभिन्न स्थानों पर जितने वृक्ष काटे गए हैं वहां पर उससे दस गुनी संख्या में वृक्ष लगाए जाएं।
8. रिज एरिया का फाइनल नोटिफिकेशन शीघ्र किया जाए।
9. जिन होटलों/व्यावसायिक मॉल्स द्वारा 10 किलोलीटर से ज्यादा का सीवरेज डिस्पोजल है, वहां STP/ETP लगाया जाना चाहिये।

समिति का स्पष्ट मत है कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए मॉनिटरिंग करना अति आवश्यक है, तभी राजधानी में पर्यावरण सुधार के सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं।

दिल्ली,
09 सितम्बर, 2008


सुरेन्द्र पाल सिंह
सभापति
पर्यावरण समिति